षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{13 फाल्गुन, 1941 (श०)}}{\text{03 मार्च, 2020 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	शिक्षा विभाग	01
(2)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	01
	कुल योग --	02

मुआवजा राशि देना

'क'-11. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वन्य प्राणियों द्वारा मानव की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साँप वन्य प्राणी होने के बावजूद पिछले 5 साल में सर्पदंश से सैंकड़ों व्यक्ति के मृत्यु के बावजूद एक भी व्यक्ति को मुआवजे की राशि नहीं मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्पदंश से मौत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

15. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के 378 पद रिक्त रहने के कारण समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, मधुबनी और खगड़िया आदि जिलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 3 से लेकर 6 और 7 प्रखंडों की शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के प्रखंडों में रिक्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 3 मार्च, 2020 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

नोट--'क'-दिनांक 28 फरवरी, 2020 को सदन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानांतरित।

बि0स0मु0, 159(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550